न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

निगरानी संख्या 09/13 तारीख रजू– 10/05/13

1– मोहन पुत्र शंकर जाति जाटव निवासी रायपुर तहसील व थाना वजीरपुर (फोत)
1/1 अनिल पुत्र मोहन 1/2 अशोक पुत्र मोहन 1/3 मुकेश पुत्र मोहन
1/4 रवि कुमार यादव पुत्र मोहन 1/5 केशर बेवा मोहन 1/6 श्रीममि शीला पुत्री मोहन
1/7 ममता पुत्री मोहन 1/8 लाली पुत्र मोहन
2– श्रीमति किस्तूरी देवी पत्नि स्व0 शंकर जाति जाटव निवासी ग्राम रायपुर तह0 वजीरपुर
3– जयलाल पुत्र शंकर जाति जाटव निवासी ग्राम रायपुर तह0 वजीरपुर
4– कमल पुत्र शंकर जाति जाटव निवासी ग्राम रायपुर तह0 वजीरपुर

----निगरानी गुजार (प्रार्थी)

बनाम

1– गौरीलाल पुत्र किशन जाति जाटव निवासी ग्राम रायपुर तहत तहसील वजीरपुर
2– विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गंगापुर सिटी -----अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक– 15/12/16**

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति गंगापुर सिटी के अपील नं0 6 दायर दिनांक 05/07/10 में पारित निर्णय दिनांक 17/07/2012 व 18/12/2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है तथा निगरानी गुजार ने निगरानी स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 17/07/2012 व 18/12/2012 निरस्त करने की प्रार्थना की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये समन की गई अप्रार्थीगण मय वकील उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानी गुजार (प्रार्थीगण) ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे निवेदन किया कि उक्त आदेश विकास अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा बिना तथ्य व कानून के दिया गया है। जो पोषणीय नहीं है। विकास अधिकारी की अपील में रेस्पोडेन्ट ने पट्टे जारी करना माना है। परन्तु पंचायत में रिकोर्ड ना होना यह अपीलान्ट की गलती में नहीं आता है। अदालत मातहत की पत्रावली में सचिव गुलाब नवी ने आदेशिका में भी अपीलान्ट नं0 1 के फर्जी हस्ताक्षर बनाये है एवम् आदेशिका में कांट छांट की है, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि उक्त आदेश फर्जी व कानून के विरूद्ध है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में रामस्वरूप को 10–12 साल पूर्व फौत होना माना है फिर भी उसके विरूद्ध निर्णय कर कानूनी भूल की है । अतः निगरानीगुजार की निगरानी स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का श्रम करे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश न्यायोचित एवं सही है। वर्ष 1981 में उक्त वाद आराजीयात की किस्म चरागाह थी। चरागाह की भूमि न तो किसी को अलाट की जा सकती है ना हि नियमन की जा सकती है। चरागाह भूमि में पट्टे देने का संरपच ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं था तथा उक्त पट्टा अपीलान्ट द्वारा मिलिभगत से बनाया गया है जो फर्जी है। उक्त पट्टे बाबत कोई रिकोर्ड ग्राम पंचायत में भी उपलब्ध नहीं है। अदालत मताहत द्वारा उक्त नियम के अनुसार पट्टा सही खारिज किया गया है। जिसमें कोई भूल नहीं की गई है। अतः निगरानी गुजार की निगरानी खारिज फरमाते हुए अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

वकील प्रार्थी की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुं कि अदालत मातहत में रेस्पों0 द्वारा प्रस्तुत अपील में धारा 96 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। जबकि विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि यदि कोई पक्षकार प्रकरण में पार्टी नहीं है तो उसे अपीलेट कोर्ट में अपील पेश करने की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। रेसपोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत कोई परमिशन नहीं ली है और तहत न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से उसकी अपील स्वीकार की है। जबकि रेस्पों की अपील प्रारम्भिक तौर पर ही खारिज

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

18/P

होने योग्य थी। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अदालत मातहत द्वारा अपील नं0 6 दायर दिनांक 05/07/10 में पारित निर्णय दिनांक 17/07/2012 व 18/12/2012 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15/12/2016 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर